



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102026-276750
CG-DL-E-03102026-276750

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5039]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2026/आश्विन 2, 1948

No. 5039]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2026

का.आ. 5246(अ).— दिनांक 01.09.2025 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 22.08.2025, की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3968(ई) के आंशिक संशोधन और पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, भारत सरकार एतद्वारा, पंजाब राज्य में मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 के तहत तहसीलदार, फिल्लौर, जिला जालंधर, पंजाब सरकार को श्री मनवीर सिंह ढिल्लों, तहसीलदार, पंजाब सरकार के स्थान पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए लिए अतिरिक्त कार्यभार आधार पर, सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एल-14014/132/2019-जीपी-II (ई- 48328)]

राजन कुमार साव, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2026

S.O. 5246(E).— In partial modification of the Government of India Notification No. S.O. 3968(E) dated 22.08.2025, published in the Extraordinary Gazette of India dated 01.09.2025, and in pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of India hereby authorizes Tehsildar, Phillaur, District Jalandhar, Government of Punjab, in place of Sh. Manbir Singh Dhillon, Tehsildar, Government of Punjab, to perform the functions of the Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, on an additional charge basis, for all Natural Gas Pipeline Projects of M/s GAIL (India) Limited in the State of Punjab.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No.. L-14014/132/2019-GP-II (E-48328)]

RAJAN KUMAR SHAW, Under Secy.